

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(4)गृह-12/कारा/2018

जयपुर, दिनांक 19 OCT 2020

:: आदेश ::

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2020 को राजस्थान कारागार सेवा के अधीक्षक ग्रेड-11 के पदों पर वर्ष 2004-05, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 की रिव्यू डीपीसी एवं वर्ष 2018-19 की नियमित डीपीसी हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषाओं के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में **उपाधीक्षक** से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में **अधीक्षक ग्रेड-11** के पद पर पदोन्नत किया जाता है-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2004-05	
2.	श्री जगेन्द्र सिंह	2004-05	सेवा निवृत्त 30.09.2011
3.	श्री राकेश कुमार भार्गव	2007-08	सेवा निवृत्त 31.07.2014
4.	श्री विक्रम सिंह	2007-08	
5.	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	2009-10	सेवा निवृत्त 31.05.2013
6.	श्रीमति मोनिका अग्रवाल	2009-10	
7.	श्री कैलाश त्रिवेदी	2010-11	
8.	श्री सुधीर पूनियां	2011-12	
9.	श्री अशोक कुमार वर्मा	2011-12	
10.	श्री हेमंत ढण्ड	2011-12	त्याग-पत्र 02.12.2014
11.	श्री के.जी. शर्मा	2012-13	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति 01.08.2015
12.	श्री राजेन्द्र कुमार	2012-13	
13.	श्री संजय यादव	2013-14	
14.	श्री राकेश मोहन शर्मा	2013-14	
15.	श्रीमति सुमन मालीवाल	2013-14	
16.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2014-15	सेवानिवृत्त 31.08.2014
17.	श्री बद्रीलाल मीणा	2014-15	
18.	श्री नंद सिंह शेखावत	2014-15	सेवा निवृत्त 28.02.2016
19.	श्री श्रीधर शर्मा	2014-15	सेवा निवृत्त 31.03.2015
20.	श्री परमजीत सिंह सिद्धू	2015-16	
21.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	2015-16	
22.	श्री गोविन्द सिंह	2015-16	सेवा निवृत्त 31.07.2020

23.	श्री इकबाल अहमद	2015-16	सेवा निवृत्त 30.11.2018
24.	श्री प्रदीप लखावत	2015-16	
25.	श्री मोईनुद्दीन पठान	2016-17	
26.	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा	2017-18	सेवा निवृत्त 30.04.2019
27.	श्री राजपाल सिंह	2018-19	

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा एवं अधीक्षक ग्रेड-11 कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, जयपुर, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
7. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक कारागार।
10. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव